पत्रांक–5/न०वि०/वृ०श०परि०–19/2018......115......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–26/09/18

विषयः– हरमू नदी के दोनो किनारो पर कुल 4,000 पौधों के रोपण एवं लोहा गैबियन द्वारा तीन वर्ष तक इनके संरक्षण हेतु कुल 1,32,40,000/– रूपये की तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अन्तर्गत TSP प्रक्षेत्र से सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची को कुल 1,32,40,000/– रू० (एक करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के ज्ञापांक–2671 दिनांक–16.08.2018 द्वारा हरमू नदी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके दोनों किनारों पर 06 कि०मी० के क्षेत्र में कुल 4,000 पौधों के रोपण एवं लोहा गैबियन द्वारा तीन वर्ष तक इनके संरक्षण हेतु प्रति पौधा रू० 3,310/– की दर से कुल 1,32,40,000/– रूपये का प्राक्कलन उपलब कराया गया है, जिस पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उक्त क्रम में हरमू नदी के दोनो किनारो पर कुल 4,000 पौधों के रोपण एवं लोहा गैबियन द्वारा तीन वर्ष तक इनके संरक्षण हेतु कुल 1,32,40,000/– रूपये की तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अन्तर्गत TSP प्रक्षेत्र से सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची को कुल 1,32,40,000/– रू० (एक करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य –लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–94–शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजना/ Urban Projects in Water Supply, Solid Waste Management, Sewerage & Drainage, Civic Infrastructure, Housing etc.– विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780796940679 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

5. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड उक्त निकासी की गयी राशि का सर्वश्री जुडको लिमिटेड के पी०एल० खाते में भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

Rakesh/E/shail Sir/Major Urban Project 18-19-26

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष (2016–17) में उक्त योजना हेतु कोई भी राशि सर्वश्री जुडको लिमिटेड को आवंटित नहीं की गयी है। अतएव उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी प्रतिवेदन शून्य है।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा

9. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं का अनुपालन करते हुए आहरित राशि को नगरपालिका की लेखा में सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

10. सर्वश्री जुडको लिमिटेड, राँची द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत योजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वयन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड से एकरारनामा किया जाए एवं गुणवत्ता पूर्ण तरीके से इसका कार्यान्वयन कराया जाए तथा मासिक भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/वृ०श०परि०–19/2018......115......, राँची, दिनांक–...26/09/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/महापौर, राँची नगर निगम/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड, राँची/परियोजना निदेशक (प्रशासन/तकनीकी) जुडको लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योरमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rakesh/E/shall Sir/Major Urban Project 18-19-27